

नागर विमानन मंत्रालय

मांग संख्या 9

नागर विमानन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
		मुख्य शीर्ष			मुख्य शीर्ष			मुख्य शीर्ष		
		आयोजना	आयोजना-भित्त	जोड़	आयोजना	आयोजना-भित्त	जोड़	आयोजना	आयोजना-भित्त	जोड़
		राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़
		155.95	...	155.95	938.95	...	938.95	1428.70	...	1428.70
		190.00	697.00	887.00	965.00	1016.00	1981.00	2000.00	885.00	2885.00
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	3.85	18.67	22.52	3.85	16.42	20.27	8.85	13.75	22.60
नागर विमानन										
2. नागर विमानन महानिदेशक	3053	17.00	36.86	53.86	14.50	36.50	51.00	13.00	41.60	54.60
	5053	33.00	...	33.00	27.00	...	27.00	73.00	...	73.00
	Total	50.00	36.86	86.86	41.50	36.50	78.00	86.00	41.60	127.60
3. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	3053	0.20	9.54	9.74	0.20	9.93	10.13	13.95	9.84	23.79
	5053	13.80	...	13.80	2.80	...	2.80	30.70	...	30.70
	Total	14.00	9.54	23.54	3.00	9.93	12.93	44.65	9.84	54.49
4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यात्री सेवा फीस के बदले विदेश यात्रा कर के उसके हिस्से का भुगतान	3053	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
5. हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	3053	...	620.00	620.00	...	941.00	941.00	...	800.00	800.00
6. सरकारी उद्यमों में निवेश	5053	49.58	...	49.58	849.58	...	849.58	1272.50	...	1272.50
	7053	39.57	...	39.57	39.57	...	39.57	32.50	...	32.50
	Total	89.15	...	89.15	889.15	...	889.15	1305.00	...	1305.00
7. अन्य व्यय	3053	13.00	6.00	19.00	7.50	5.40	12.90	435.00	13.00	448.00
	3601	...	0.05	0.05	...	...	...	...	0.05	0.05
	Total	13.00	6.05	19.05	7.50	5.40	12.90	435.00	13.05	448.05
अन्य परिवहन सेवाएं										
8. रेलवे सुरक्षा आयुक्त घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अंतरण	3075	...	5.91	5.91	...	6.79	6.79	...	6.79	6.79
	3075	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04
	Net	...	5.87	5.87	...	6.75	6.75	...	6.75	6.75
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुस्त प्रावधान										
9.01 एएआई को अनुदान	3053	...	...	...	...	...	...	100.50	...	100.50
9.02 पूर्वोत्तर-क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	4552	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
	Total	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	120.50	...	120.50
कुल जोड़		190.00	697.00	887.00	965.00	1016.00	1981.00	2000.00	885.00	2885.00
ख. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आ.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब.बा.सं.	जोड़
6.01 भारतीय राष्ट्रीय विमानन कम्पनी लि.	13053	...	8165.64	8165.64	800.00	7365.64	8165.64	1200.00	4434.80	5634.80
6.02 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	13053	99.15	3145.81	3244.96	99.15	2723.35	2822.50	85.00	3009.50	3094.50
6.03 पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि.	13053	10.00	74.50	84.50	10.00	80.00	90.00	40.00	109.00	149.00
6.04 भारतीय होटल निगम लि.	13053	...	15.00	15.00	...	5.00	5.00	...	15.00	15.00
6.05 एअर इंडिया चार्टर्स लि.	13053	...	573.81	573.81	...	573.82	573.82	...	20.00	20.00
जोड़		109.15	11974.76	12083.91	909.15	10747.81	11656.96	1325.00	7588.30	8913.30
ग. आयोजना परियोजना										
1. नागर विमानन	13053	170.00	11974.76	12144.76	945.00	10747.81	11692.81	1879.50	7588.30	9467.80
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	120.50	...	120.50
जोड़		190.00	11974.76	12164.76	965.00	10747.81	11712.81	2000.00	7588.30	9588.30

सं.9/नागर विमानन मंत्रालय

1. यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए है। मंत्रालय के लिए आयोजना-भिन्न बजटीय आवंटन वेतन और अन्य प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए है। इस मन्त्रालय को आयोजना आवंटन निम्नलिखित के व्यय की पूर्ति हेतु है (i) अन्तरराष्ट्रीय प्रचालनों के भारतीय वाहकों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि (ii) मीडिया अभियान तथा (iii) नागर विमानन क्षेत्र में प्रभावी प्रवन्धन और नियंत्रण में वृद्धि के लिए क्षमता निर्माण उपाय।

2. इस शीर्ष के अंतर्गत किया गया प्रावधान नागर विमानन महानिदेशालय तथा इसके क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों के स्थापना सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में भारत के अंशदान के लिए किया गया प्रावधान भी शामिल है।

3. यह प्रावधान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के स्थापना संबंधी व्यय, उपस्करों तथा सहायक उपकरणों की खरीद और कार्यालय भवन के निर्माण आदि से संबंधित सिविल कार्यों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है।

4. यह प्रावधान सरकार द्वारा एकत्र किए जाने वाले विदेश यात्रा कर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भुगतान करने के लिए है। इस योजना को दिनांक 01-04-2001 से बन्द कर दिया गया है चूंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 1.4.2001 से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से यात्री सेवा शुल्क (पीएसएफ) वसूल करने की अनुमति दी जा चुकी है। लंबित दावों, जिन्हें लेखों का समाशोधन न होने की वजह से पहले निपटाया नहीं जा सका, के लिए वर्ष 2010-11 में एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

5. यह प्रावधान हज संबंधी चार्टर विमानों के प्रचालन के लिए राष्ट्रीय विमानन कम्पनी लि. को सब्सिडी का भुगतान किये जाने के लिए है।

6. इस शीर्ष के तहत किया गया आवंटन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न हवाईअड्डों के विकास और जम्मू, लेह, श्रीनगर, अगाती, पोर्टब्लेयर, पुदुचेरी और अमृतसर के हवाई अड्डों के लिए बजटीय सहायता जारी करने के लिए है। यह आवंटन कई अन्य योजनाओं जैसे गगन परियोजना, पेक्क्योंग, इटानगर, अजमेर, तिरुपति आदि के लिए किया गया है। यह बजटीय सहायता पवनहंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड (पीएचएचएल) को रोहिणी, दिल्ली में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसीआईएल) को इक्विटी अनुप्रेरण के लिए सहायता पैकेज के रूप में भी यह प्रावधान किया गया है।

7. यह प्रावधान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए), एयरो क्लब ऑफ इंडिया(एसीआई) और विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ईआरए) को सहायता अनुदान के भुगतान के लिए है।

8. इस शीर्ष के अंतर्गत किया गया प्रावधान रेल संरक्षा आयोग, जो रेल यात्रा तथा प्रचालन में संरक्षा से संबंधित है और भारतीय रेल अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उल्लिखित विनिर्दिष्ट कतिपय सांविधिक कार्यकलापों को निष्पादित करता है, के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है।

9. यह पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के हितार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान है।